विवरण

क्र. सं.	एसोसियेशन का नाम	वर्ष 1992-93 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	दान करने वाली एजेंसी	वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	दान करने वाली एजेंसी	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1.	शोधरदोहा प्रखन स्वराज्य विकास जगतपुर	3,64,943/रु.	इवांगेलिश्च-जेन्ट्रालस्टैली फर एटविकलंगशिलफे, बॉन, जर्मनी	4,28,528/-रु.	इवांगेलिश्च-जेन्ट्रालस्टैली फर एटविकलंगशिलफे, बॉन, जर्मनी	ग्रामीण विकास
2.	(सेवा मिथिला) सैल्फ एम्पलायड वूमैन्स एसोसियेशन, मिथिला	5,84,136/-रु.	फोर्ड फाउंडेशन यू.एस.ए., रायल नारवैजियन एम्बेसी, स्विस रैडक्रास समर्थित कार्यक्रम स्विटजरलैंड	2,75,076/-रु.	रायल नारवेजियन एम्बेसी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	महिला विकास और महिलाओं के लिए अल्पावधि ठहरने के लिए घर
3.	महिला विकास सदन	28,000-रु.	औक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, यू.के.	81,900/-रु.	औक्सफैम इंडिया ट्रस्ट	सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विद्यापीठ फतेहपुर, लौहाट	3,26,071/-रु.	साउथ-एशिया पार्टनरशिप, कनाडा, इंडोजर्मन सोशल सर्विस सोसायटी	3,16,398/-रु.	साउथ-एशिया पार्टनरशिप, कनाडा,	सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक
5.	कमलेश्वरी अन्तोदय आश्रम पालमपुर	1,34,717/-रु.	वर्ल्ड एकार्डकन	18,335/-रु.	साउथ-एशिया पार्टनरशिप इंडिया, नई दिल्ली	सामाजिक आर्थिक और महिला विकास
6.	सामाजिक विकास संस्थान, ग्राम-पुरे डा. बेला	79,850/-रु.	इंडो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी	1,55,000/-रु.	इंडो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी, दिल्ली साउथ-एशिया पार्टनरशिप इंडिया, दिल्ली	सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक
7.	सामाजिक शैक्षिक विकास केन्द्र	18,76,260/-रु.	स्विटजरलैंड रैडक्रास सोसायटी, स्विटजरलैंड, औक्सफैम (इंडिया) ट्रस्ट, 8 ब्राईट स्ट्रीट, कलकत्ता।	20,61,402/-रु.	स्विस रैड-क्रास स्विटजरलैंड औक्सफैम (इंडिया) ट्रस्ट, 8 ब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता इण्डो-जर्मन सोशल सर्विस, सोसायटी।	सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक
8.	ग्राम विकास परिषद बाबू साहिब डयोढ़ी	14,55,580/-रु.	स्विस रैड-क्रास इन्टरनेशनल कार्पोरेशन, बर्न स्वीडिश एम्बैसी डैव. कार्पो. आफिस नई दिल्ली, ओक्सफैन (इंडिया) ट्रस्ट	16,78,404/-रु.	स्विस रैड क्रास इंटरनेशनल कार्पोरेशन, बर्न, रायल नीदरलैंड एम्बैसी	सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक

Firms/Companies Operating Telecom Services in the Country

1648. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPPA REDDY:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the details of firms/companies etc. both of Indian and foreign origin, who have been given permission to operate telecommunication system of the country during the last three years;

(b) whether most of the foreign companies have been dependent on Indian financial resources;

(c) whether Government have any policy in this regard; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(SHRI SUKH RAM): (a) The licences for the operation of Cellular Mobile Telephone Service, Radio Paging Service and other Value Added Services have been issued to the Indian Registered companies only. These companies may have a foreign partner. The details of the licences issued so far, are given in the Annexure. [*See* Appendix 174 Annexure No. 36]

(b) to (d) Not applicable in view of (a) above.

Use of Forest Land for Public Purpose by States

1649. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the State Government of Rajasthan that where the land involved is less than 50 hectares, powers of exempting such land from the provisions of the Forest (conservation) Act may be delegated to the State Governments; particularly in cases where forest land is required for public purposes; and

(b) whether Government propose to simplify the procedure to give an opportunity to the State's representatives to make their view point clear while rejecting cases under the Act?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Powers have been delegated to the Regional Chief Conservator of Forests to finally dispose of all proposals involving diversion of forest land upto 5 hectares, except in respect of proposals for regularisation of encroachments and for mining. For proposals involving diversion of forest area above 5 ha. and upto 20 ha., powers have been delegated to the Regional Chief Conservator of Forests to examine the proposals in consultation with the State-level Advisory Group consisting of representatives of the State Government. The views of the Advisory Group and the proposal is sent to the Ministry for consideration and final decision. Proposals above 20 ha. are directly received in the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 from various State Governments/Union Territories and are discussed in the Forest Advisory Committee consisting of four official members and three non-official members. The final decision is taken only after taking into consideration the recommendations of the Forest Advisory Committee. At present, there is no proposal under consideration to further amend the procedure for examination of proposals under Forest (Conservation) Act, 1980, since the present simplified procedure is found to be adequate and satisfactory in achieving the objectives of the Act.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव

1650. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त आबंटित राशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए ही किया है अथवा इस राशि को अन्य प्रयोजनों पर व्यय किया है; और

(ग) क्या मरम्मत और रख-रखाव का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को दिया गया अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को आबंटित राशि नीचे दी गई है:-

(लाख रु.)

वर्ष	आबंटन
1990-91	1108.51
1991-92	1312.05
1992-93	1394.96
1993-94	1710.52
1994-95	2065.48

(ख) आबंटित निधियां पूरी तरह उपयोग में लाई जा चुकी हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने मरम्मत और रख-रखाव का कार्य एजेंसी आधार पर राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है।